DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY RASHTRIYA SWABHIMAAN KHEL PARISAR

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 11/2018-19/RSKP/DDA (Re-call)

The Secretary, Rashtriya Swabhimaan Khel Parisar, DDA re-invites sealed quotations for the work mentioned herein below. The quotations should reach the office of the Secretary, RSKP, DDA by 3.00 P.M. on <u>05/04/2019</u> The sealed quotations shall be opened on the same day at 3.30 P. M. in the office of the Secretary of the Complex. The quotationers or their authorized representatives may be present at the time of the opening of the sealed quotation"Earnest money in the form of pay order / demand draft of any Nationalized Bank approved by Reserve Bank of India drawn in favour of "CAU SPORTS DDA, DDA" to be submitted with the quotation. Any quotation which is not accompanied with the Earnest Money in the prescribed manner, shall be rejected summarily and not accounted for at all".

Estimate Cost: Rs.49,804/- Earnest Money: Rs. 1000/-

Name of work: M/o RSKP, DDA

Sub Head: Finishing work from outer side of Swimming Pool at RSKP, Pitampura.

Sl					
No.	Description of item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade: Old work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/ 10 sqm) on existing cement paint surface	722.32	Sqm		
Total					

Terms & Conditions:-

- 1. Photocopy of PAN Card and GST registration are to be required to be submitted along with quotation.
- 2. The work shall be carried out as per directions of Secretary, RSKP & RE (Civil), RSKP.
- 3. No minor labour will be engaged at site.
- 4. No advance payment will be paid to the agency.
- 5. The payment shall be released as per actual measurement at site.
- 6. Nothing extra shall be paid beyond the accepted/ approved rates.
- 7. The work shall be completed within **07 Days** from the date of issue of work order.
- 8. Payment shall be made only after the work is executed to the entire satisfaction of the Secretary /AE (Civil).
- 9. The decision of the Secretary of the complex/ AE (Civil) in respect of the quality of the work done, shall be final and binding on the agency and not to be called in question before any forum.
- 10. If the entire work done is not completed within the stipulated time period, then it will be the sole discretion of the Secretary / AE (Civil) to accept the work done on such terms as deems fit and proper.
- 11. Necessary statutory deductions will be made as applicable. In addition the agency will be liable for action to be debarred from further participation in NIQ and NIT.
- 12. Conditional quotation will not be accepted.
- 13. Debarred agency / individual will not be permitted to participate in the biding process.
- 14. No T & P shall be issued to the agency by department.
- 15. Validity of Quotation is 60 days from the date of opening.
- 16. The rates should be inclusive of all taxes and cartage etc.
- 17. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agency's behalf. Any agency engaging a debarred person is also liable to be debarred.
- 18. The material brought at site shall be got approved from AE (Civil) / Secretary of the Complex before same is used at site.

- 19. The experience of agencies should be taken into account rather than individuals incorporated with the agency, which does not include proprietorship.
- 20. That the quoted rates should invariably be written both in figures and words, failing which the quotation shall be liable for rejection.
- 21. Any quotation received through post/Courier/email etc. shall be summarily rejected.
- 22. Secretary, RSKP reserves the right to accept or reject any bid/quotation without assigning any reason.
- 23. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision a draw of lots shall be carried out by a committee comprising of Secretary, Resident Engineer and DDO of the complex.

Gp. Capt Sudhir Nasiar (Retd.) Secretary/RSKP/DDA

F5(371)RSKP/DDA/Civil/2019/444

Dt. 01/04/2019

Copy to:

- 1. Commissioner (Sports)/DDA for information please.
- 2. Director (Systems) for putting on DDA web-site.
- 3. A. O. (Sports)-II/ DDA
- 4. All Secretaries of the DDA Sports Complexes with Secretary (Coordn.) for information please.
- 5. The Secretary, DDA Contractors Welfare Association, Barrack No.1, Block -A, Vikas Kuteer, New Delhi.
- 6. The Secretary, DDA Contractors Welfare Association, E-18, Vikas Kutir, New Delhi.
- 7. AAO/RSKP/DDA
- 8. AE (Civil) / RSKP/DDA
- 9. Manager / RSKP/ DDA
- 10. Notice Board, RSKP / DDA

Secretary/RSKP/DDA

दिल्ली विकास प्राधिकरण

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर

नोटिस आमंत्रण उद्धरण सं। 11/2018-19 / आरएसकेपी / डीडीए पुन: कॉल

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिषद, डीडीए के सचिव नीचे दिए गए कार्य के लिए मुहरबंद उद्धरण आमंत्रित करते हैं। कोटेशन 3.00 बजे तक सचिव, आरएसकेपी, डीडीए के कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए। <u>05/04 /2019</u> पर। सील किए गए उद्धरण उसी दिन अपराहन 3.30 बजे परिसर के सचिव के कार्यालय में खोले जाएंगे। उद्धरणकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि सील किए गए उद्धरण के उद्घाटन के समय उपस्थित हो सकते हैं "भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के भ्गतान आदेश / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में" सीएयू स्पॉर्ट्स डीडीए "के पक्ष में तैयार धनराशि। उद्धरण के साथ प्रस्त्त किया जाना है। "भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के भुगतान आदेश / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अर्जित धन, ''सीएयू स्पॉर्ट्स डीडीए'' के पक्ष में उद्धरण के साथ प्रस्त्त किया जाएगा। कोई भी उद्धरण जो निर्धारित तरीके से बयाना राशि के साथ नहीं है, को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और इसका बिल्क्ल भी हिसाब नहीं होगा".

अनुमानित लागत: Rs.49,804/-अग्रिम धन :Rs. 1000/-

काम का नाम: एम / या आरएसकेपी, डीडीए

उप प्रमुख: आरएसकेपी, पीतमप्रा में स्विमिंग पूल के बाहरी तरफ से फिनिशिंग का काम

Sl No.	Description of item	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Finishing walls with Acrylic Smooth exterior paint of required shade: Old work (Two or more coat applied @ 1.67 ltr/ 10 sqm) on existing cement paint surface	722.32	Sqm		
Total					

Terms & Conditions:-

- 1. कोटेशन के साथ पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण की फोटोकॉपी जमा करनी होगी
- 2. सचिव, आरएसकेपी और आरई (सिविल), आरएसकेपी के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा.
- कोई मामूली श्रम स्थल पर नहीं लगाया जाएगा.
- 4. एजेंसी को कोई अग्रिम भ्गतान नहीं किया जाएगा
- 5. भ्गतान साइट पर वास्तॅविक माप के अन्सार जारी किया जाएगा.
- 6. स्वीकृत / अनुमोदित दरों से परे कुछ भी अतिरिक्त भ्गतान नहीं किया जाएगा.
- 7. 5. कॉर्य आदेश जारी करने की तारीख से 07 दिनों के भीतर काम पूरा हो जाएगा.
- 8. सचिव / एई (सिविल) की संपूर्ण संतुष्टि के लिए कार्य पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। 9. किए गए कार्य की गुणवता के संबंध में जटिल / एई (सिविल) के सचिव का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा और किसी भी फोरम से पहले प्रश्न में नहीं ब्लाया जाएगा.
- 10. यदि पूरा किया गया कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है, तो यह सचिव / AE (सिविल) का एकमात्रे विवेक होगा जो ऐसे शब्दों पर किए गए कार्य को उचित और उचित मानता है.
- 11. आवश्यक वैधानिक कटौती को लागू किया जाएगा। इसके अलावा एजेंसी NIQ और NIT में आगे की भागीदारी से वंचित होने वाली कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी.
- 12. सशर्त उदधरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 13. डेबिट एर्जेसी / व्यक्ति को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
- 14. विभाग दवारा एजेंसी को कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएँगा.
- 15. कोटेशन की वैधता खोलने की तारीख से 60 दिनों की है.
- 16. दरें सभी करों और कार्टेज आदि के समावेशी होनी चाहिए.

- 17. जिस किसी व्यक्ति को डिबार किया गया है, उसे किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही वह एजेंसी की ओर से अटॉर्नी की शक्ति रखता हो। किसी भी एजेंसी को एक बदनाम व्यक्ति से उलझने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए.
- 18. साइट पर लाई गई सामग्री को एई (सिविल) / सचिव से मंजूरी मिल जाएगी, इससे पहले कि साइट पर इसका इस्तेमाल किया जाए.
- 19. एजेंसियों के अनुभव को एजेंसी के साथ शामिल व्यक्तियों के बजाय खाते में लिया जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है.
- 20. कि उद्धृत दरों को हमेशा आंकड़ों और शब्दों दोनों में लिखा जाना चाहिए, यह असफल होना कि कौन सा उद्धरण अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा.
- 21. पोस्ट / क्रियर / ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी उदधरण को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा.
- 22. सचिव, ओरएसकेपी बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली / उद्धरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार स्रक्षित रखता है
- 23. यदि बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत की गई दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए समिति के सचिव, रेजिडेंट इंजीनियर और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ द्वारा बह्त से ड्रा निकाले जाएंगे।

जीपी कैप्टन सुधीर नसीर (सेवानिवृत्त) सचिव / आरएसकेपी / डीडीए

F5(371)RSKP/DDA/Civil/2019/444

Dt. 01/04/2019

Copy to:

- 1. आयुक्त (खेल) / डीडीए कृपया जानकारी के लिए
- 2. डीडीँए वेब-साइट पर डालर्ने के लिए निदेशक (सिस्टम)
- 3. सीनियर अकाउंट ऑफिसर CAU (स्पोर्ट्स) DDA
- 4. कृपया जानकारी के लिए सचिव (समन्वय) के साथ DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी सचिव.
- 5. संचिव, डीडीए कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटर, नई दिल्ली.
- 6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ई -18, विकास क्टीर, नई दिल्ली.
- 7. एएओ / आरएसकेपी / डीडीए
- 8. एई (सिविल) / आरएसकेपी / डीडीए
- 9. प्रबंधक / आरएसकेपी / डीडीए
- 10. नोटिस बोर्ड, आरएसकेपी / डीडीए

सचिव / आरएसकेपी / डीडीए